



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-19062020-220025
CG-MH-E-19062020-220025

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 209]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 18, 2020/ज्येष्ठ 28, 1942

No. 209]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 18, 2020/JYAISTHA 28, 1942

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

गणपूर्ति

- (i). श्री टी.एस. बालासुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)
- (ii). श्री रजत सच्चर, सदस्य (आर्थिक)

शुद्धिपत्र

मुंबई, 02 जून, 2020

(जून 2020 के 1 दिन पारित)

सं. टीएएमपी/47/2019-जीटीआईपीएल.—इस प्राधिकरण ने गेटवे टर्मिनल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (जीटीआईपीएल) के दरमानों के सामान्य संशोधन के प्रस्ताव का प्रशुल्क दिशानिर्देश 2019 के अनुसार निपटान करते हुए, 20 फरवरी, 2020 को आदेश संख्या टीएएमपी/ 47/2019-जीटीआईपीएल पारित किया था। इस प्राधिकरण द्वारा संशोधित दरमान और निष्पादन मानक भारत के राजपत्र, असाधारण (भाग III, खंड 4) में 03 मार्च, 2020 को राजपत्र संख्या 98 में अधिसूचित हुए।

2. 3 मार्च, 2020 को अधिसूचित दरमान में गलती से कुछ अशुद्धियां रह गयीं। अशुद्धियों का ब्योरा और किये जाने वाले सुधार निम्नवत हैं :-

क्र. सं.	दरमान का संदर्भ	जैसा अधिसूचना में प्रकाशित हुआ है	निम्नवत पढा जाये										
1	खंड 2 – टिप्पणी	टिप्पणी: कंटेनर जो मूल रूप से पोतांतरण कंटेनर के रूप में घोषित किया गया है, बाद में रेल अथवा सड़क द्वारा संचलित किया जाता है, पोतांतरण कंटेनर के रूप में अपनी पहचान खो देगा और सामान्य आयात कंटेनर के रूप में माना जाएगा और यथा लागू निर्धारित प्रभार देय होंगे। खतरनाक टीपी के प्रभार सामान्य टीपी कंटेनरों का 1.5 गुणा होंगे और ओडीसी टीपी के प्रभार सामान्य टीपी कंटेनरों का 2 गुणा होंगे।	टिप्पणी: कंटेनर जो मूल रूप से पोतांतरण कंटेनर के रूप में घोषित किया गया है, बाद में रेल अथवा सड़क द्वारा संचलित किया जाता है, पोतांतरण कंटेनर के रूप में अपनी पहचान खो देगा और सामान्य आयात कंटेनर के रूप में माना जाएगा और यथा लागू निर्धारित प्रभार देय होंगे। खतरनाक टीपी के प्रभार सामान्य टीपी कंटेनरों का 1.5 गुणा होंगे और ओडीसी टीपी के प्रभार सामान्य टीपी कंटेनरों का 1.5 गुणा होंगे।										
2	खंड 11ड. आईसीडी- रेल द्वारा संचलित लदे हुए और खाली आयात तथा निर्यात कंटेनर	<table><tr><th>विवरण</th></tr><tr><td>प्रथम 7 दिन</td></tr><tr><td>11 - 15 दिन</td></tr><tr><td>16- 30 दिन</td></tr><tr><td>उसके बाद</td></tr></table>	विवरण	प्रथम 7 दिन	11 - 15 दिन	16- 30 दिन	उसके बाद	<table><tr><th>विवरण</th></tr><tr><td>प्रथम 7 दिन</td></tr><tr><td>8 - 15 दिन</td></tr><tr><td>16- 30 दिन</td></tr><tr><td>उसके बाद</td></tr></table>	विवरण	प्रथम 7 दिन	8 - 15 दिन	16- 30 दिन	उसके बाद
विवरण													
प्रथम 7 दिन													
11 - 15 दिन													
16- 30 दिन													
उसके बाद													
विवरण													
प्रथम 7 दिन													
8 - 15 दिन													
16- 30 दिन													
उसके बाद													

टी.एस. बालसुब्रमनियन सदस्य (वित्त)

[विज्ञापन-III/4/असा./62/2020-21]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS**QUORUM**

- (i). Shri. T.S. Balasubramanian, Member (Finance)
(ii). Shri. Rajat Sachar, Member (Economic)

CORRIGENDUM

Mumbai, the 02nd June, 2020

(Passed on this 1st day of June 2020)

No.TAMP/47/2019- GTIPL. —This Authority has passed an Order No. TAMP/47/2019- GTIPL dated 20 February 2020 in the case relating to the proposal received from Gateway Terminal India Private Limited (GTIPL) for General revision of its Scale of Rates (SOR) under Tariff Guidelines, 2019. The Order notifying the SOR of GTIPL has been notified in the Gazette of India Extraordinary (Part III Section 4) on 3 March 2020 vide Gazette No. 98.

2. Inadvertently, errors have occurred in the SOR notified on 3 March 2020. The details of the errors and the corrections to be made are detailed below:

Sl. No.	Reference to Scale of Rates	As appeared in the Notification	To be read as given below
1	Section 2 – Note	A container originally declared as transshipment container, subsequently moved by rail or road will lose its identity as a transshipment container and shall be treated as normal import container and the prescribed charges as applicable shall be payable. The charges for Hazardous TP will be 1.5 Times of Normal TP containers and charges for ODC TP will be 2 times normal TP containers.	A container originally declared as transshipment container, subsequently moved by rail or road will lose its identity as a transshipment container and shall be treated as normal import container and the prescribed charges as applicable shall be payable. The charges for Hazardous TP will be 1.5 Times of Normal TP containers and charges for ODC TP will be 1.5 times normal TP containers.
2	Section 11-E-ICD - Loaded and Empty Import and Export Containers moved by Rail	Particulars	Particulars
		First 7 Days	First 7 Days
		11 - 15 days	8 - 15 days
		16- 30 days	16- 30 days
		Thereafter	Thereafter

T.S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)

[ADVT.-III/4/Exty./62/2020-21]